न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 218 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/234)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 01.11.2021

1. श्री ऊँकारलाल पिता सवराम गुर्जर, निवासी मिर्चा खेडी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक 12–12(6)16 / 1497 दिनांक 14.10.2016

निर्णय

दिनांक 01.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक 12–12(6)16 / 1497 दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध दिनांक 28.11.2016 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित

होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 29.11.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.07.1985 को अपीलांट को आवंटित मौजा मंगलवाड, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1871 रकबा 5 बीघा भूमि निजी वनविकास हेतु आवंटित हुई थी, जिसके नामांतरकरण संख्या 1633 द्वारा अपीलांट के नाम लीज 25 वर्ष की अवधि हेतु दर्ज की गई। अपीलांट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करते हुए मौके पर काबिज है। अतः नियमानुसार इस आवंटित भूमि की लीज अवधि बढ़ाने का का कष्ट करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक 12–12(6)16/1497 दिनांक 14.10.2016 से राजस्व (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 30.07.1990 से राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के तहत भूमि आवंटन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है, का हवाला देते हुए निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि की लीज अवधि बढ़या जाना संभव नही होने के आदेश जारी किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आवंटन दिनांक से आवंटन शर्तो की पालना करते हुए आवंटित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली में आवंटन नियमों के तहत अवधि बढ़ाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था फिरी भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की जांच कराये बगैर राज्य सरकार का आदेश दिनांक 31.07.1990 का हवाला देते हुए उक्त आवेदन को अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट को दिनांक 12.06.1987 को आवंटित की गयी व उसके पश्चात उक्त भूमि अपीलांट के गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये गलत रूप से आवंटन की अवधि बढ़ाये जाने का आवेदन निरस्त किये जाने का आदश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 14.10.2016 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवेदन दिनांक 09.09.2016 को प्रस्तुत किया गया एवं आवेदन के अनुसार उसे तत्कालीन प्रचलित नियमों के तहत अकृषि भूमि का निजी वन विकास प्रयोजनार्थ दिनांक 12.06.1987 को ग्राम मंगलवाड़ा की आराजी नं0 1871 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जो बकौल उसको 25 वर्षों के लिए आवंटन हुई थी, तद्नुसार उक्त अवधि वर्ष 2012 को अवसायित हो गयी थी परन्तु आवेदक द्वारा वर्ष 2016 में लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है जो लिज समाप्ति के 4 वर्ष पश्चात् आवेदन किया था।

उक्त आवेदन के संदर्भ में जिला कलक्टर द्वारा बाद परीक्षण अपीलाण्ट को सूचित किया कि राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि बंजड़ भूमि का आवंटन) नियम 1986 के तहत भूमि आवंटन का राजस्व ग्रुप–4 विभाग के आदेश दिनांक 30.07.1990 से निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि की लीज बढ़ाया जाना संभव नहीं है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.07.1990 की पालना में उक्त निजी वन विकास प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की लीज बढ़ाने से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.07.1990 के क्रम में मना किया है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने राज्य सरकार के आदेशों की पालना में लीज अवधि बढ़ाने से मना किया है जो नियमानुकूल है। राज्य सरकार के आदेशों की अपील सुनने को यह न्यायालय सक्षम नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत ही अपीलाण्ट को आवंटित भूमि की लीज नहीं बढ़ाने का जो निर्णय किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर